

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र सं०: 03-A/NLEP/NP/2016-17/4753 दिनांक: 24.8.2016

विषय : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगी खोजी अभियान (Leprosy Case Detection Campaign) हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर निदेशक, कुष्ठ के पत्र संख्या 11फ/01-2016/2016/कुष्ठ/6197-98 दिनांक 27.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुरूप चयनित 15 जनपदों के 189 हाईपर एन्डेमिक ब्लॉक में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाये जाने हेतु कुल धनराशि रू० 767.27891 लाख के सापेक्ष राज्य स्तरीय गतिविधियों हेतु रू० 5.38 लाख एवं जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु रू० 761.89 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि अपर निदेशक, कुष्ठ के प्रस्तावानुसार कुष्ठ रोगी खोजी अभियान (Leprosy Case Detection Campaign) चलाये जाने हेतु एफ०एम०आर० कोड G.1.1 (Specific Plan for High Endemic Districts) के अन्तर्गत कुल धनराशि रू० 761.89891 लाख सम्बन्धित 15 जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 16.08.2016 को अवमुक्त अवमुक्त करा दी गयी है-

Leprosy Case Detection Campaign 2016-17 in 189 blocks of 15 districts of U.P.		
S.No.	Name of District	Total Estimated Budget in Rs
1	Badaun	5776704
2	Bahraich	5739985
3	Bareilly	8077423
4	Hardoi	7240380
5	Amroha	3302233
6	Kaushambi	2804552
7	Kheri	7019904
8	Moradabad	5296471
9	Muzaffarnagar	4580390
10	Pilibhit	3554952
11	Shrawasti	2262314
12	Shahjahanpur	5613585
13	Sitapur	8091580
14	Sambhal	3722871
15	Amethi	3106547
Total Districts		76189891

2. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से एस0पी0एम0यू0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग के साथ समन्वय कर जनपदों को निर्गत कराने का कष्ट करें तथा दिशा-निर्देश में वित्तीय सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित कराने का कष्ट करें-

- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,




(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०: 03-A/NLEP/NP/2016-17/

तददिनांक

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर निदेशक, कुष्ठ, महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत करने का कष्ट करें।



(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक